न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़(राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या – 582/2016 प्रार्थना पत्र
GCMS No. - 2016/00810

तखतसिंह पिता ज्ञानचंदजी जाति महाजन जैन आयु वयस्क निवासी सतखंडा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थी
2– पैरोकार सरकार – विपक्षी

:: निर्णय ::

दिनांक :– 29.12.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात वाके मौजा सतखंडा पटवार हल्का सतखंडा तहसील निम्बाहेड़ा की नई खाता संख्या 156 आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1300 हैक्टेयर स्थित है जिसके पुराने आराजी नम्बर 1791/260/1666 रकबा 10 बिस्वा स्थित है। साक्ष्य में नकल जमाबन्दी पेश है।

2. यह कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादग्रस्त आराजियात जिसके पड़ौस उत्तर में भगवाना पिता हंसा गाडरी की जमीन दक्षिण में सतखंडा गांव में जाने का रास्ता, पूर्व में 10 फीट चौड़ा रास्ता व उसके बाद राधेश्याम पिता रामलाल सुथार तथा रामलाल पिता खेमाजी डांगी की जमीन, पश्चिम में विक्रेता रामचन्द्र गाडरी की जमीन व किशना सरगरा का मकान इन चारों पड़ौसों के मध्य की 10 बिस्वा भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा तभी से प्रार्थी की खातेदारी कब्जे में चली आ रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:35 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि उपरोक्त आराजी नम्बर 804 जो सेटलमेन्ट के बाद जो नया नक्शा बनाया गया है उक्त नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की आराजियात अंकित की गई है परन्तु उक्त आराजी नम्बर का तरमीम नवीन नक्शा ट्रेस में नहीं किया गया है उक्त त्रुटी राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरुस्त कर तरमीम किया जाना आवश्यक है।

4. यह कि उक्त पूरी आराजियात का पूर्व में माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 55/14 निर्णय दिनांक 26.02.2015 को बउनवान राधेश्याम वगैरा बनाम सरकार द्वारा उक्त आराजियात एवं अन्य दिगर आराजियात के बाबत नक्शा ट्रेस में रकबे अनुसार पृथक–पृथक तरमीम करने का आदेश दिया गया है परन्तु उक्त आदेश के बावजूद भी प्रार्थी की आराजियात मौके पर काबिज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं की गई है। इसलिए न्यायहित में राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे की भूमि को तरमीम कर दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

5. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात मौजा सतखंडा पटवार हल्का सतखंडा की नई खाता संख्या 156 आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1300 हैक्टेयर स्थित है उक्त आराजियात को मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज पुरानी एवं नयी जमाबंदी में दर्ज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किया जावें।

6. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने पत्र क्रमांक/ राजस्व/ 2021/511 दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से प्रकरण में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपने द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में कथन किया कि ग्राम सतखण्डा की वर्तमान आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1300 हैक्टेयर को नक्शे में तरमीम नहीं किया गया है, जो साबिक गत भू–प्रबन्ध आराजी नम्बर 1791/260/1666 रकबा 10 बिस्वा से बनी है। उक्त आराजी नम्बर 804 की तरमीम का नक्शा दुरस्त किया जावें। उक्त प्रकरण में राजस्व रेकार्ड से जाचं करने पर पाया कि ग्राम सतखण्डा की प्रश्नगत आराजी नम्बर 804 भू–प्रबन्ध के नवीन नक्शे में आराजी नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 804/2339, 806/2340 के साथ एक ही चक में दर्शाई गई एवं जिसकी तरमीम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं की गई है। यह कि दौराने सेग्रीगेशन कार्यवाही उक्त खसरा नम्बरान के नक्शा शीट में तरमीम प्रगति के दोरान भू–प्रबन्ध अधि० महो. द्वारा निर्देशानुसार एकीकरण किया जाकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो० निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/09 दिनांक 19.02.2020 से उक्त सभी नम्बरान को नक्शे में आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर किस्म 0.05 गे.मु. आबादी 0.67 बीड 1 में दर्ज कर शामिल किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजी नम्बर 804,–आराजी नम्बर 806 में शामिल होकर प्रार्थी श्री तख्तसिंह पुत्र ज्ञानचन्द हिस्सा 13/72 जाति [illegible] खातेदार एवं शेष 21 खातेदारान के नामे से संयुक्त खाते [illegible] है। अतः वर्तमान में प्रार्थी का नाम संयुक्त खाते [illegible] होकर [illegible] नम्बर 806 की तरमीम है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण [illegible] की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:35 IST
Reason: SelfAttested

7. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.

8. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

9. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्यों में न्यायालय हाजा के प्ररकण संख्या 55/2014 प्रार्थनापत्र की आदेशिका की फोटोप्रति, ग्राम सतखण्डा का नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति, ग्राम सतखण्डा की जमाबन्दी संवत् 2069–2072 की खाता संख्या 156 की आराजी नम्बर 804 रकबा 0.13 हैक्टेयर की प्रमाणित, ग्राम सतखण्डा की जमाबन्दी संवत् 2058 से 2061 की खाता संख्या 109 की आराजी नम्बर 1791/260/1666 रकबा 10 बिस्वा की प्रमाणित प्रति, पुराने सेटलमेंन्ट के नक्शे की फोटोप्रति, बयनामा की फोटोप्रति पेश की है।

10. दोनो पक्षों के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, त[illegible] की रिपोर्ट एवं बहस में प्रकट तथ्यों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है [illegible] प्रा[illegible] अपने खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजियात मौजा सत[illegible]टवार ह[illegible] सतखण्डा की खाता संख्या 156 की आराजी नम्बर 804 रकबा 0.1300 हैक्टेयर जो साबिक गत भूबन्ध की आराजी नम्बर 1791/260/1666 रकबा 10 बिस्वा से बने है। उक्त आराजियात को मौके पर काबिज अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज पुरानी एवं नयी जमाबन्दी में दर्ज अनुसार नवीन नक्शा ट्रेस में तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्ती कराना चाहता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रकरण में राजस्व रेकार्ड से जाचं करने पर पाया कि ग्राम सतखण्डा की प्रश्नगत आराजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:35 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर 804 भू–प्रबन्ध के नवीन नक्शे में आराजी नम्बर 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 806, 804/2339, 806/2340 के साथ एक ही चक में दर्शाई गई एवं जिसकी तरमीम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नहीं की गई है। यह कि दौराने सेग्रीगेशन कार्यवाही उक्त खसरा नम्बरान के नक्शा शीट में तरमीम प्रगति के दोरान भू–प्रबन्ध अधि0 महो. द्वारा निर्देशानुसार एकीकरण किया जाकर श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महो0 निम्बाहेड़ा के आदेश क्रमांक/राजस्व/2020/09 दिनांक 19.02.2020 से उक्त सभी नम्बरान को नक्शे में आराजी नम्बर 806 रकबा 0.72 हैक्टेयर किस्म 0.05 गे.मु. आबादी 0.67 बीड 1 में दर्ज कर शामिल किया गया है। वर्तमान में प्रार्थी की आराजी नम्बर 804,–आराजी नम्बर 806 में शामिल होकर प्रार्थी श्री तख्तसिंह पुत्र ज्ञानचन्द हिस्सा 13/72 जाति महाजन सा. साना खातेदार एवं शेष 21 खातेदारान के नामे से संयुक्त खाते में दर्ज रेकार्ड है। अतः वर्तमान में प्रार्थी का नाम संयुक्त खाते में दर्ज होकर आराजी नम्बर 806 की तरमीम है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रकरण निरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। तहसीदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना अस्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाता हैं। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम है।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:47:35 IST
Reason: SelfAttested